संख्या–1872 / 9–आ–1–32 विविध / 2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग – 1 लखनऊः दिनाँक–21 अप्रैल, 2001

विषय : प्राधिकरण द्वारा आवासीय योजनाएं वर्ष 2001–2002 हेतु विकास योजना।

महोदय,

विकास प्राधिकरण द्वारा नगरीय विकास के लिए विभिन्न कार्य एवं कार्यक्रम निष्पादित किए जाते हैं। परन्तु विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकलाप, जो आय के मुख्य श्रोत हैं और जिनसे प्राधिकरण के अधिकांश व्यय वित्त पोषित होते हैं, आवासीय योजनाएं ही हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राधिकरण आवासीय योजनाओं की प्रगति और उनकी ''पाईप–लाईन'' पर गहराई से ध्यान दे, आवश्यक है कि इस हेतु एक वार्षिक योजना बनाई जाये और तद्नुसार वित्तीय व अन्य संसाधनों का प्रबन्ध किया जाय तथा कार्य सम्पादित किए जायें।

इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं की विकास योजना 2001–2002, निम्न बिन्दुओं का समावेश करते हुए तैयार की जाय :

1. भू–अर्जन : प्रश्नगत वर्ष में कितनी भूमि के सम्बन्ध में क्या–क्या कार्यवाही की जायेगी, अर्थात् कितनी भूमि की धारा–4, धारा–6 की अधिसूचना कराई जायेगी व कितनी भूमि का कब्जा प्राप्त किया जायेगा। इस मद में धनराशि की क्या आवश्यकता हेागी।

2. मुख्य एवं वाह्य विकास कार्य : विभिन्न आवासीय योजनाओं में कौन–कौन से ट्रंक / वाह्य विकास कार्य किए जायेंगे व उनके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी।

3. आन्तरिक विकास कार्य : वर्ष में कितने क्षेत्रफल पर आंतरिक विकास कार्य किए जायेंगे और उसके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी।

4. निर्माण कार्य : वर्ष में कितने भवन किस–किस श्रेणी के बनाये जायेंगे और उनके लिए कितनी धनराशि आवश्यक होगी।

5. इन्फास्ट्रक्चर की कमियाँ : विभिन्न आवासीय योजनाओं में अवस्थापनाओं की ऐसी कमियाँ जिनसे योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, को पूर्ण करने का प्रयास किया जाये। इस प्रकार के कौन–कौन से कार्य लिए जायेंगे व उनके लिए धनराशि की क्या आवश्यकता होगी।

उपरोक्त पाँचों बिन्दुओं पर कार्य योजना बनाई जानी अपेक्षित है। आवश्यक धनराशि का आंकलन करते हुये यह भी विचार करना होगा कि इनका वित्त पोषण किस प्रकार संभव हो सकता है ताकि तत्काल तद्नुसार वित्तीय संसाधन प्राप्त करने के लिए प्रयास प्रारम्भ कर दिये जायें।

कृपया उपरोक्तानुसार विचार करते हुए सुविचारित कार्य योजना 05 मई, 2001 तक तैयार कर लें तथा उनका सारांश संलग्न प्रारूप पर प्रत्येक दशा में 07 मई, 2001 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या – 1872(1)/9–आ–1–2001, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि समस्त अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कि उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव